कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के अनुरूप ग्रुप जी में संवर्गित उपजिला शिक्षा अधिकारी–शाशि एवं समकक्ष पद पर(ग्रुप–जी) पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 5400 में वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16/17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।

इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासात्मक कार्यवाही को प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/बी–III/डीपीसी/उपजिशअ(शाशि)/2018–19/125 दिनांक 17–06–2019 के द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप, इनका पदोन्नति पर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/विद्यालय–उमावि0 में प्रधानचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाग से किया जाता है :–

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	5/ 1986–87	2018–19	श्रीमती चरणजीत कौर व.शाशि	25-02-1962	राबाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर	श्री गंगानगर	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा , श्रीगंगानगर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । **नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को** रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल ad.esttab.dse@rajasthan.gov.in पर तुरंत सूचित करेंगे।

सम्बंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांकः–**18.07.2019** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। **नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें** । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगें, संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन 18–19/2019 दिनांक 12 • 07.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. प्रमुख शासन सचिव–स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (क–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान–सरकार, जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा।
07. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
08. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
09. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. संबधित संस्था प्रधान।
11. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
12. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3।
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक